(02) श्री राजीव शर्मा CJ

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	129/2018 रामदेव | मानाराम — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — 225 RTAct	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में ज़ारी हुए
26.02.18.	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कम्प्लिट रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्यत: निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के बारे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता है तथा वह प्रश्नगत भूमि के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोंडे-2स ना. द्वारा पूर्व मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी के संदर्भ मे आदेश पारित करवा लिया था, जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त फरमाया गया एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा भी अपने समक्ष प्रश्नगत भूमि के संदर्भ मे प्रस्तुत 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील का निर्णय पारित कर अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करमा दिया गया। अपीलार्थी को मात्र हैरान-परेशान करने की नियत से रेस्पोंडे-2स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश एकतरफा मे पारित कराया गया एवं उसकी अवधि निरन्तर कायम रही। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मे आगे निवेदन किया कि रिकॉर्ड खातेदार	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अवैधानिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसकी क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे। अधि० अपीलार्थी ने बहस के अन्त मे निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही यह अपील इस न्यायालय के समक्ष धारा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर दी है। अतः न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाया जाकर आदेश जैर अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे अपीलार्थी प्रश्नगत आराजी के संदर्भ मे रिकॉर्डेड खातेदार है जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो से सन्तुष्ट होकर प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 13.06.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर